प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 1045/2020

आदेश सुरक्षित किया गया : 19.06.2025

आदेश पारित किया गया : 08.07.2025

1 – सुदर्शन सेठी पिता श्री रघु सेठी लगभग 50 वर्ष डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के रुप मे कार्यरत, कार्मिक विभाग, विश्रामपुर क्षेत्र, कार्यालय :महाप्रबंधक, विश्रामपुर क्षेत्र, निवासी विश्रामपुर, डाकघर विश्रामपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के द्वारा, एस ई सी एल , जिसका कार्यालय सीपत रोड, पी ओ एस ई सी एल, बिलासपुर 495006 (सी जी) बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2 – निदेशक–कार्मिक, एस. ई. सी. एल., जिसका कार्यालय सीपत रोड, पी. ओ. एस. ई. सी. एल., बिलासपुर 495006 (सी. जी.) बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3 – महाप्रबंधक, बिसरामपुर क्षेत्र, एस. ई. सी. एल, बिसरामपुर, पी. ओ. बिसरामपुर, जिला–सूरजपुर छत्तीसगढ़।जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

4 – क्षेत्र कार्मिक प्रबंधक, बिसरामपुर क्षेत्र, एस. ई. सी. एल, बिसरामपुर, पी. ओ. बिसरामपुर, जिला–सूरजपुर छत्तीसगढ़।जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 10265/2019

1 – सुदर्शन सेठी पिता श्री रघु सेठी, उम्र लगभग 50 वर्ष, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी कार्मिक विभाग बिश्रामपुर क्षेत्र, कार्यालय महाप्रबंधक, बिश्रामपुर क्षेत्र, निवासी बिश्रामपुर, डाकघर। बिसरामपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़....

..(याचिकाकर्ता),

बनाम

1 – साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के द्वारा, एस. सी. एल., जिसकाकार्यालय सीपत रोड, पो सेकल बिलासपुर 495006 छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ (उत्तरवादी)

2 – निदेशक कार्मिक सचिव का कार्यालय सीपत रोड, पो सेकल बिलासपुर 495006 छत्तीसगढ़ बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (उत्तरवादी)

3 – महाप्रबंधक बिसरामपुर क्षेत्र, सेक्टर, बिसरामपुर, पी. एस. बिसरामपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी)

4 – क्षेत्र कार्मिक प्रबंधक बिसरामपुर क्षेत्र, सेक्टर बिसरामपुर, पी. ओ. बिसरामपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।

5 – श्रीमती. माहेश्वरी अमरिया (सेंट) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी एस. सी. एल. कुसमुंडा छत्तीसगढ़

6 – कु. नान बाई (एससी) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी एस. सी. एल. सी. डब्ल्यू. एस. कोरबा छत्तीसगढ़।

7 – राम प्रसाद कुर्रे (एससी) डाटा एंट्री ऑपरेटर सचिव कुसमुंडा छत्तीसगढ़।

8 – प्रकाश रामटेके (एससी) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, सचिव रायगढ़ छत्तीसगढ़.(उत्तरवादी)

9 – प्रहलाद सिंह पालकरा (सेंट) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी सेक्ल दीपका छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी),

10 – शोभा सिंह कंवर (सेंट) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी सेक्ल दीपका छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी),

11 – भुनेश्वर प्रसाद (एससी) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी. सेक्ल गेवरा छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी)

12 – जवाहर (सेंट) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी सेक्ल भटगांव छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी)

13 – एच. पी. ध्रुव (एस. टी.) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी. सैकल बैकुंथपुर छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी)

14 – संतोष कुमार (एससी) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी. सचिव गेवरा छत्तीसगढ़.(उत्तरवादी)

15 – मुरलीधर चौहान (एससी) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी. सचिव गेवरा छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी)

16 – राका (सेंट) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी सेक्ल भटगांव छत्तीसगढ़।

17 – गोरेलाल लैडर (एससी) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी सैकल भटगांव छत्तीसगढ़.(उत्तरवादी)

18 – लाल सिंह (सेंट) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी. एस. सी. एल. कुसमुंडा छत्तीसगढ़. (उत्तरवादी)

19–राम कुमार (एससी) डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी एस. सी. एल. मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़.(उत्तरवादी)

––– उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण हेतु :––श्री रवि भगत, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी/एस. ई. सी. एल. हेतु :श्री वैभव शुक्ला और सुश्री श्रेजल गुप्ता,अधिवक्ता।

माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी,न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. डब्लू पी एस संख्या 10265/2019 में मांगे गये अनुतोष, डब्लू पी एस संख्या 1045/2020 के अंतिम परिणाम पर निर्भर करती है और दोनों याचिकाओं के पक्षकार एक ही हैं, इसलिए, उनकी सुनवाई समान रूप से की जा रही है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।[सुविधा के लिए, डब्लू पी एस संख्या 1045/2020 को मुख्य मामले के रूप में लिया जाएगा]।

2.ए – याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 05.02.2020 (अनुलग्नक पी–1) के आदेश को अपास्त करने/अभिखंडित करने के लिए रिट याचिका (एस) संख्या 1045/2020 दायर की गई है, जिसके तहत दिनांक 15/16.05.2019 के आदेश को अभिखंडित कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को फिर से शुरू करने और जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.बी जबकि, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका (एस) संख्या 10265/2019 दायर की गई है जिसमें निलंबन की अवधि के लिए वेतन, भत्ते और पदोन्नति सहित अन्य लाभों के भुगतान की मांग की गई है, जैसा कि निजी उत्तरवादीगण को दिया गया है, इस आधार पर कि उन्हें दाण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है और विभागीय जांच कार्यवाही से भी मुक्त कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य यह हैं किवह शुरुआत में उत्तरवादी–एसईसीएल में जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड "डी" के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद, 29.11.2014 को उन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड "सी" के पद पर पदोन्नत किया गया।जब वह उत्तरवादी–एसईसीएल के बिश्रामपुर क्षेत्र के कार्मिक विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड "सी" के पद पर कार्यरत थे, तब वर्ष 2014 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आमगांव ओसीएम से कोयले के परिवहन की रिपोर्टिंग में कमी की अन्वेषण की, जहां याचिकाकर्ता संबंधित अवधि में वे ब्रिज क्लर्क के रूप में काम कर रहा था।सीबीआई ने याचिकाकर्ता और अन्य अधिकारियों /अभियुक्तगण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 409 सहपठित धारा 120–बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2 सहपठित धारा 13(1)(सी) के तहत अपराध (अपराधों) के लिए एफआईआर संख्या RC1242014A0007 दर्ज की।याचिकाकर्ता को 20.07.2017 को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उसे दिनांक 28.08.2017 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था। दाण्डिक प्रकरण में निर्णय सुनाए जाने से पहले, उत्तरवादी – एसईसीएल ने विभागीय जांच शुरू की और दाण्डिक प्रकरण के तथ्यों के समान सेट पर आरोप पत्र जारी किया, उसके बाद, दिनांक 25.07.2018 के फैसले (अनुलग्नक पी –10) के तहत, विशेष न्यायाधीश (सीबीआई मामले), रायपुर ने याचिकाकर्ता और अन्य सह–अभियुक्तों को विशेष दाण्डिक

प्रकरण संख्या सीबीआई / 02/2017 में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति पश्चात् , उसे दिनांक 06.10.2018 के आदेश (अनुलग्नक पी–14) के तहत अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने की अनुमति दी गई, उसके बाद, उसने उसी दिन अपनी सेवाएं ग्रहण कर लीं।विभागीय जांच में सुनवाई के दौरान, विद्वान सीबीआई न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अभिलेख में रखा गया, तत्पश्चात, जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट (अनुलग्नक पी–17) प्रस्तुत की और सिफारिश की कि चूंकि याचिकाकर्ता को विशेष न्यायालय (सीबीआई) द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए सीबीआई न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को निर्दोष बरी किए जाने के बाद जांच नहीं की जा सकती है।उस पूछताछ रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 15/16–05–2019 (अनुलग्नक पी–18) के आदेश द्वारा विभागीय जांच से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उत्तरवादी संख्या 1 ने उत्तरवादी सं 3 को दिनांक 02.01.2020 (अनुलग्नक पी–19) के संचार द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच फिर से शुरू करने के लिए कहा, इस आधार पर कि जांच कार्यवाही विधि/प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई है।इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 3 ने दिनांक 05.02.2020 के आदेश अनुलग्नक पी–1 को पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले दिनांक 15/16–05–2019 के आदेश को रद्द कर दिया गया और जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच कार्यवाही फिर से शुरू करने/पुनः शुरू करने और जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसके कारण रिट याचिका (एस) संख्या 1045/2020 दायर की गई।निलंबन के कारण उन्हें निलंबन अवधि के लिए वेतन, भत्ते और पदोन्नति सहित अन्य मौद्रिक लाभ नहीं दिए गए, इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस) संख्या 10265/2019 दायर की और निलंबन अवधि के लिए संपूर्ण वेतन, भत्ते और अन्य लाभ प्रदान करने की मांग की, जैसा कि निजी उत्तरवादीगण को दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादीगण ने अपनी रिटर्न दाखिल की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी ने विभागीय साक्षीयों की परिक्षण किए बिना और दस्तावेज प्रदर्शित किए बिना जांच पूरी कर ली और उन्होंने जांच रिपोर्ट केवल इसलिए पूरी कर ली क्योंकि याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों को दाण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है।इसलिए, जांच अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन, चूंकि विभागीय जांच कार्यवाही विधि / प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी, इसलिए, जब याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति आदेश दिनांक 15/16.05.2019 को उत्तरवादी क्रमांक 1 – अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एसईसीएल के संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 31 के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और पिछली जांच में विभिन्न दोषों के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए अनुशासनात्मक /अनुमोदन प्राधिकारी को दिनांक 02.01.2020 (अनुलग्नक पी–19) पत्र जारी किया।इसलिए, जब याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति आदेश दिनांक 15/16.05.2019 को उत्तरवादी क्रमांक 1 – अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एसईसीएल के संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 31 के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और पिछली जांच में विभिन्न दोषों के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ

जांच कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए अनुशासनात्मक/अनुमोदन प्राधिकारी को दिनांक 02.01.2020 (अनुलग्नक पी–19) पत्र जारी किया।इसके अलावा, जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आपराधिक आरोपों के संबंध में केवल न्यायालय के आदेश पर ही विचार किया, विभागीय आरोपों की जाँच किए बिना, इस प्रकार, जाँच अधूरी है।अतः, अनुलग्नक पी–1 के माध्यम से जाँच अधिकारी को जाँच कार्यवाही पुनः आरंभ करने और जाँच पूरी करने के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। चूँकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका अस्वीकार किए जाने योग्य है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विभागीय जांच और विशेष दाण्डिक प्रकरण में आरोप, साक्ष्य, साक्षीयों और परिस्थितियां एक समान हैं, इसलिए दाण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त होने के बाद विभागीय मामला एक निरर्थक कवायद के अलावा कुछ नहीं होगा।इस संबंध में, उन्होंने **कैप्टन एम. पॉलैथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड एवं अन्य, जी.एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य** 2 के मामले में इसी आधार पर भरोसा किया था, **जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबंध निदेशक (प्रशासनिक एवं मानव संसाधन) बनाम सी. नागराजू एवं अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में भी भरोसा किया है।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.1 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विभागीय मामले और विशेष दाण्डिक प्रकरण में साक्षी एक ही हैं और परीक्षण के दौरान, उन साक्षी से न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षा की गई थी, इसलिए, विभागीय मामले में उन साक्षी के बयान का मूल्य बेकार है और जांच में मदद नहीं करेगा क्योंकि दाण्डिक न्यायालय ने पहले ही सभी साक्षी के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार कर लिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को दाण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए विभागीय जांच को फिर से खोलना / जारी रखना अवैध है और दोहरे खतरे के बराबर है, इसलिए, दिनांक 05.02.2020 (अनुलग्नक पी –1) का आदेश खारिज करने योग्य है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के दौरान, विद्वान आपराधिक न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से निपटाया है और माना है कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, इस प्रकार, विभागीय जांच को फिर से शुरू करने / फिर से शुरू करने की अनुमति देना एक विशेष अदालत द्वारा पहुँचे गए न्यायिक निष्कर्ष की समीक्षा / फिर से खोलना और फिर से खोलना है, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है, इसलिए, विभागीय जांच कार्यवाही जारी रखना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त मामलों में निर्धारित कानून के खिलाफ है, इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 5.2.2020 (अनुलग्नक पी –1) के आदेश और फिर से शुरू की गई पूरी विभागीय जांच कार्यवाही को रद्द किया जाए।

6. उत्तरवादी/एसईसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने उत्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थापित कानून है कि आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी कर्मचारी को बरी किए जाने से विभागीय कार्यवाही पर स्वतः और संक्षिप्त रूप से प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पहले, दो मामलों में सबूत की डिग्री अलग–अलग होती है, अर्थात, आपराधिक अभियोजन में उचित संदेह से परे, सिविल और विभागीय मामलों में संभाव्यता की प्रबलता के विपरीत। दूसरी बात, आपराधिक अभियोजन संबंधित विभाग के नियंत्रण में नहीं है और दोषमुक्त होना घटिया जांच या सबूतों के लापरवाही से आत्मसात करने या वाद के लापरवाही से, यदि मिलीभगत से नहीं, तो संचालन का परिणाम हो सकता है। तीसरी बात, आपराधिक अभियोजन में दोषमुक्त होना विभागीय जांच में विपरीत निष्कर्ष को नहीं रोक सकता है यदि पहला निर्णय निष्क्रिय निर्णय के विपरीत सकारात्मक निर्णय है, जो तकनीकी कमियों पर आधारित हो सकता है।दूसरे शब्दों में, आपराधिक न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अभियुक्त निर्दोष है, न कि केवल यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं किया गया है।उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में **प्रबंध निदेशक (प्रशासनिक और मानव संसाधन) (सुप्रा) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत संघ और अन्य बनाम पुरुषोत्तम 4** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6.1 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि जांच रिपोर्ट (एक्स.पी–17) सभी विभागीय गवाहों की जांच किए बिना और दस्तावेजों को प्रदर्शित किए बिना तैयार की गई थी, बल्कि यह केवल आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया था और जिसके आधार पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 15/16–5–2019 के आदेश के तहत दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए, इसे कानून और प्रक्रिया के खिलाफ पाते हुए, इसे प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अलग रखा गया है और विभागीय जांच को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है, जो कि प्रतिवादियों–एसईसीएल के कानून / प्रक्रिया के आधार के भीतर बहुत अच्छी तरह से है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि आपराधिक मामले और विभागीय जांच के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप एक समान नहीं हैं, क्योंकि विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पूर्ण निष्ठा बनाए रखने में उसकी विफलता और याचिकाकर्ता की ओर से रिकॉर्ड बनाए रखने में चूक या कमीशन के कार्य के संबंध में हैं, जो कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के बराबर है, जो कंपनी के स्थायी आदेश की धारा 26.1, 26.13 और 26.22 के तहत कदाचार के रूप में आते हैं।इस प्रकार, दाण्डिक मामले में याचिकाकर्ता के दोषमुक्त होने के बाद भी, नियोक्ता को नियमों/प्रक्रिया/स्थायी आदेश के अनुसार विभागीय जाँच करने का अधिकार है।यह भी तर्क दिया गया है कि विभागीय कार्यवाही का उद्देश्य, अपराधियों द्वारा अपराध किए जाने के लिए उनके विरुद्ध अभियोजन के उद्देश्य से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ एक ओर अपराध के लिए आपराधिक अभियोजन, अपराधियों द्वारा समाज के प्रति किए गए कर्तव्य के उल्लंघन के लिए शुरू किया जाता है, वहीं दूसरी ओर विभागीय जाँच का उद्देश्य सेवा में अनुशासन और दक्षता बनाए रखना होता है।इसके अलावा, यह स्थापित विधि है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग सामान्यतः कारण बताओ नोटिस/आरोप–पत्र को रद्द करने के लिए नहीं किया जाना

चाहिए, सिवाय अधिकार क्षेत्र के पूर्ण अभाव या अवैधता के दुर्लभ मामलों को छोड़कर। यह भी स्थापित विधि है कि आरोप की सत्यता या सत्यता की जाँच अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कार्य है, इसलिए उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।6.2 उत्तरवादीगण हेतु विद्वान अधिवक्ता – एसईसीएल आगे प्रस्तुत करते है कि यदि दाण्डिक मामला विभागीय कार्यवाही के पूरे क्षेत्र को शामिल नहीं करता है, तो विभागीय कार्यवाही जारी रह सकती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में प्रबंध निदेशक (प्रशासनिक और मानव संसाधन) (सुप्रा) और कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमेश 5 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।**यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता यह दर्शाने में विफल रहा है कि विभागीय जांच को पुनः आरंभ करने में क्या अवैधता है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता के अनुसार, आरोपों/अभियोगों के एक ही सेट के लिए, उन्हें और एसईसीएल के अन्य अधिकारियों को पहले विशेष दाण्डिक प्रकरण संख्या सीबीआई/02/2017 में आरोप–पत्र दिया गया है, जिसमें दिनांक 25.07.2018 (अनुलग्नक पी –10) के निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य सह–आरोपियों को विशेष न्यायालय (सीबीआई) द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, दूसरा, उस दोषमुक्त होने से पहले, विभागीय जांच शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता को आरोपों और सबूतों के एक ही सेट के आधार पर आरोप–पत्र दिया गया था।उक्त जांच कार्यवाही में, जांच रिपोर्ट (एक्स.पी–17) के आधार पर, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से आदेश दिनांक 15/16.5.2019 (अनुलग्नक पी–18) के तहत दोषमुक्त कर दिया गया था, लेकिन दिनांक 05.02.2020 (अनुलग्नक पी–1) के तहत विधि और प्रक्रिया के खिलाफ जांच कार्यवाही को पाते हुए, जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने के आदेश को रद्द करते हुए इसे फिर से शुरू / फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है।

9. इस याचिका में मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या विशेष दाण्डिक न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को बरी करने से नियोक्ता को उसके विरुद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही करने/जारी रखने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा?

10. मामले के तथ्यात्मक सार पर विचार करने से पहले, इस विवाद्यक से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा:––

11. जी.एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य 6 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने कंडिका 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

– "31. हमारी राय में, विभाग और आपराधिक कार्यवाही में तथ्य और साक्ष्य समान थे और उनमें रत्ती भर भी अंतर नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता को सफल होना चाहिए।विभागीय और आपराधिक कार्यवाहियों के बीच आमतौर पर दृष्टिकोण और साक्ष्य के भार के आधार पर जो अंतर साबित किया जाता है, वह इस मामले में लागू नहीं होगा।यद्यपि घरेलू जाँच में दर्ज निष्कर्ष विचारण न्यायालय द्वारा वैध पाया गया था, जब बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कर्मचारी को सम्मानजनक रूप से दोषमुक्त कर दिया गया था, तो इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है और कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड एवं अन्य, (1999) 3 एससीसी 679 में दिया गया निर्णय लागू होगा।अतः, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।"

12. प्रबंध निदेशक (प्रशासनिक एवं मानव संसाधन) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में[सुप्रा], सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने जी.एम. टैंक (सुप्रा) और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने से नियोक्ता को नियमों और विनियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।आपराधिक और विभागीय, दोनों कार्यवाहियाँ पूरी तरह से अलग हैं।वे अलग–अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके अलग–अलग उद्देश्य होते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी ऐसे आचरण का दोषी है जिसके लिए उसे सेवा से हटाया जाना चाहिए या कम सजा दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो, जबकि आपराधिक कार्यवाही में, प्रश्न यह है कि क्या पीसी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दर्ज अपराध सिद्ध होते हैं, और यदि सिद्ध होते हैं, तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए।दोनों मामलों में सबूत के मानक, जांच का तरीका और जांच और परीक्षण को नियंत्रित करने वाले नियम काफी अलग और भिन्न हैं।"

13. अपीलकर्ता और उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप अनुचित था।यह स्थापित विधि है कि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच को बाधित नहीं करता है।यदि विभागीय जाँच में प्रस्तुत साक्ष्य आपराधिक वाद के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी आपराधिक न्यायालय के निर्णय से बाध्य नहीं है।विभागीय जाँच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अपराधी आचरण नियमों के अंतर्गत कदाचार का दोषी है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसे सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं।विभागीय जाँच में साक्ष्य का मानक पूरी तरह से साक्ष्य के नियमों पर आधारित नहीं होता है।अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश, जो कि आपराधिक न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य से भिन्न है, न्यायोचित है और इसमें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

13. कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (प्रशासनिक एवं मानव संसाधन) बनाम सी. नागराजू एवं अन्य (सुप्रा) मामले में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमेश (सुप्रा) मामले में दोहराया गया है और अनुमोदन के साथ उसका पालन किया गया है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित निर्णय दिए हैं:–

"16. अनुशासनात्मक जाँच को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत उन सिद्धांतों से भिन्न हैं जो दाण्डिक विचारण पर लागू होते हैं।आपराधिक विधि के तहत दंडनीय अपराध के अभियोजन में, अपराध के अवयवों को उचित संदेह से परे स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।अभियुक्त को निर्दोषता की धारणा का अधिकार है।नियोक्ता द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का उद्देश्य किसी कर्मचारी द्वारा कदाचार के आरोप की जाँच करना है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार संबंध को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों का उल्लंघन होता है। आपराधिक अभियोजन के विपरीत, जहाँ आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना आवश्यक है, अनुशासनात्मक कार्यवाही में, कदाचार के आरोप को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर स्थापित किया जाना आवश्यक है।दाण्डिक विचारण में लागू होने वाले साक्ष्य के नियम अनुशासनात्मक जाँच के नियमों से भिन्न होते हैं।किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाना नियोक्ता को अनुशासनात्मक अधिकारिता के प्रयोग में कार्यवाही करने से नहीं रोकता है।

22. न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में, न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों पर अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करता है।न्यायालय उन साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है जिनके आधार पर अनुशासनात्मक जाँच के दौरान कदाचार का निष्कर्ष निकाला गया है।न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में न्यायालय को अपनी पुनर्विलोकन को इस तक सीमित रखना चाहिए कि क्या:

(i) प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया गया है; (ii) कदाचार का निष्कर्ष कुछ साक्ष्यों पर आधारित है; (iii) अनुशासनात्मक जाँच के संचालन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का पालन किया गया है; और (iv) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष विकृत हैं; और(vi) दंड सिद्ध कदाचार के अनुपात से अधिक है।

23. हालाँकि, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को आकर्षित करने के लिए उपरोक्त में से कोई भी परीक्षण लागू नहीं हुआ।कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया है।उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया और नियोक्ता के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्राधिकार में दखल दिया।जाँच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की गई थी।जाँच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के संदर्भ में मान्य हैं। दाण्डिक विचारण के दौरान उत्तरवादी को दोषमुक्ति किये जाने से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अधिकार या अनुशासनात्मक कार्यवाही में कदाचार के निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

14. **राम लाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 7 के मामले में,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद्यक पर विचार करते हुए कि विभागीय जाँच कार्यवाही में आपराधिक मुकदमे में न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त करने के आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित विधिक स्थिति अपनाई है:---

"11. हमने दोनों प्रश्नों की स्वतंत्र रूप से जाँच की है।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की पुनर्विलोकन करने की रिट न्यायालय की शक्ति बहुत सीमित है।जाँच का दायरा केवल यह जाँचना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया वैध है या नहीं।[भारतीय स्टेट बैंक बनाम देखें। ए. जी. डी रेड्डी, 2023:आई. एन. एस. सी:766 = 2023 (11) स्केल 530]।इस अभ्यास के एक भाग के रूप में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय इस बात पर विचार करने के हकदार हैं कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों में भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की गई है और यदि ऐसा पाया जाता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करने में शक्तिहीन नहीं हैं।[यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम विश्वनाथ भट्टाचार्जी, 2022 आई. एन. एस. सी:117 = (2022) 13 एससीसी 329]

12. हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा केवल बरी कर दिए जाने से कर्मचारी को बहाली सहित किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। (देखें पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अन्य बनाम एस. समुथिराम, (2013) 1 एससीसी 598)।

13. तथापि, यदि विभागीय जांच और आपराधिक न्यायालय में आरोप एक जैसे या एक जैसे हों, तथा साक्ष्य, साक्षीयों तथा परिस्थितियां एक जैसी हों, तो मामला एक अलग आयाम प्राप्त कर लेता है।यदि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्त करना अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के बाद किया गया था और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा था, तो न्यायिक समीक्षा में न्यायालय कुछ परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्षों को बरकरार रखना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा, तो वह अपने विवेक का प्रयोग करके राहत प्रदान करने का हकदार होगा।प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करेगा।[देखें जी.एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2006) 5 एससीसी 446, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम पी. कटा राव, (2008) 15 एससीसी 657 और एस. समुथिराम (सुप्रा)]"

15. हाल ही में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराणा प्रताप सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 8 के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :---**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. हालाँकि किसी आपराधिक मामले में बरी होने से अभियुक्त को अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद लोक सेवा से उसकी बर्खास्तगी को रद्द करने का आदेश स्वतः प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता, फिर भी यह सर्वविदित है कि जब विभागीय जाँच और आपराधिक कार्यवाही, दोनों में आरोप, साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियाँ एक समान या मूलतः समान हों, तो स्थिति एक अलग संदर्भ ग्रहण कर लेती है।ऐसे मामलों में, अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्षों को बरकरार रखना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा।यह स्थिति एम. टैंक जी. (सुप्रा) के निर्णय द्वारा स्थापित की गई है, जिसे हाल ही में राम लाल (सुप्रा) के एक निर्णय द्वारा और पुष्ट किया गया है।

16. इस प्रकार, यह स्थापित विधि है कि किसी दाण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त होने से आरोपी/अपराधी कर्मचारी को विभागीय जाँच से बर्खास्तगी का आदेश प्राप्त करने या नियोक्ता को विभागीय जाँच करने/जारी रखने से स्वतः ही वंचित करने का अधिकार नहीं मिल जाता।हालाँकि, जब दोनों मामलों अर्थात् विभागीय जाँच और आपराधिक कार्यवाही में आरोप, साक्ष्य, साक्षीयों तथा परिस्थितियाँ एक ही हों, तो मामला एक अलग आयाम प्राप्त कर लेता है।यदि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि आरोपों और साक्ष्यों के आयाम, परिस्थितियाँ समान हैं और आपराधिक कार्यवाही में बरी करना अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के बाद किया गया था और अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय कुछ परिस्थितियों में निवारण प्रदान कर सकता है और राहत प्रदान करने में अपने विवेक का प्रयोग करने का हकदार होगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विभागीय कार्यवाही में निष्कर्ष देना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा। लेकिन, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, दाण्डिक प्रकरण के आरोपों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ करोड़ों रुपये के कोयले की भारी मात्रा में भौतिक हानि पहुँचाकर 'आपराधिक विश्वासघात' का अपराध करने का आरोप लगाया गया है और इसे छिपाने के लिए, उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके आधिकारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की और फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए, जबकि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय मामले में लगाए गए आरोप वास्तविक परिवहन यात्राओं को छिपाने और झूठे उत्पादन को सही ठहराने के लिए गुप्त उद्देश्य से दस्तावेजों का मिथ्याकरण और निर्माण है, कोयला स्टॉक की कमी को छिपाने के लिए झूठे आंकड़े और परिवहन कार्ड तैयार किए।इस प्रकार, उन्होंने स्थायी आदेश की धारा 26.1,26.13 और 26.22 के तहत कदाचार का कार्य किया।

18.सरकारी रिकॉर्ड/डेटा में हेरफेर करके और झूठे और फर्जी दस्तावेज तैयार करके करोड़ों रुपये मूल्य के कोयले की भारी मात्रा की भौतिक हानि करना याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक अपराध है, लेकिन आधिकारिक अभिलेख को बनाए नहीं रखना, आधिकारिक रिकॉर्ड में गलत डेटा तैयार करना/दर्ज करना

और कोयला स्टॉक की कमी को छिपाने के इरादे से गलत परिवहन कार्ड तैयार करना, जबकि, वे ब्रिज क्लर्क के प्रभारी होने के नाते याचिकाकर्ता वास्तविक डेटा दर्ज करने और वास्तविक परिवहन यात्रा कार्ड तैयार करने के लिए बाध्य था, लेकिन वह स्थायी आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा, इस प्रकार, वह वे ब्रिज क्लर्क के पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यों और दायित्वों को बनाए रखने में विफल रहा। याचिकाकर्ता के इस तरह के कदाचार के नागरिक परिणाम तथा विभागीय कार्यवाही होती है।वर्ष 2018–19 के लिए टीसीएस, ब्याज और जुर्माने की मांग को यथावत रखा गया है।यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में अपराध करने का कोई आरोप लगाया जाता है, जिसमें किसी विभागीय नियम, प्रक्रिया, आदेश, निर्देश आदि के उल्लंघन का कोई तत्व नहीं है, तो यदि ऐसा अधिकारी/कर्मचारी आपराधिक मामले में दोषमुक्त हो जाता है, तो ऐसे आरोप के संबंध में न तो विभागीय जांच की जा सकेगी और न ही उसे ऐसे आरोप के आधार पर विभागीय जांच में दंडित किया जा सकेगा, जैसे हत्या, लूट और डकैती आदि, तथापि, यदि उस अपराध के घटित होने में विभागीय नियम, प्रक्रिया, आदेश, निर्देश आदि के उल्लंघन का तत्व भी सम्मिलित है, तो केवल आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने के आधार पर नियोक्ता को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच करने और ऐसे नियम, प्रक्रिया, आदेश, निर्देश आदि के उल्लंघन के लिए उसे दंडित करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.इस मामले में, याचिकाकर्ता और अन्य सह–अभियुक्तों ने एसईसीएल के अधिकारी/कर्मचारी होने के बावजूद, करोड़ों रुपये मूल्य की खदानों के कोयले की भारी मात्रा का दुरुपयोग/निपटान किया और एसईसीएल को वित्तीय नुकसान पहुँचाया गया। ऐसा करने के लिए, उन्होंने नियमों/स्थायी आदेश/निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने आधिकारिक आंकड़ों/अभिलेखों में हेराफेरी/गढ़ा और फर्जी दस्तावेज तैयार किए।इस प्रकार, याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तगण ने न केवल एसईसीएल को वित्तीय नुकसान पहुंचाया और आपराधिक विश्वासघात किया है, बल्कि उन्होंने एसईसीएल / कोल इंडिया लिमिटेड के सुसंगत नियमों, प्रक्रिया, आदेश / निर्देश का भी उल्लंघन किया, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों मामलों में आरोप (ओं) का आयाम / क्षेत्र / परिस्थितियां यानी विभागीय जांच और दाण्डिक कार्यवाही एक ही हैं।

21. **भारत संघ एवं अन्य बनाम सीताराम मिश्रा एवं अन्य 9 के मामले में,** सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, "अनुशासनात्मक जाँच, आपराधिक मामले में लागू होने वाले प्रमाण के मानक से भिन्न होती है।दाण्डिक विचारण में, आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।अनुशासनात्मक जाँच का उद्देश्य नियोक्ता को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि क्या किसी कर्मचारी ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है।सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूर्वोक्त विभिन्न अन्य मामलों में इसी प्रकार का मत दोहराया है।

22. वर्तमान मामले में, यद्यपि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले से बरी कर दिया गया है, फिर भी उसके विरुद्ध विभागीय जाँच की कार्यवाही चल रही है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं।अतः, दाण्डिक प्रकरण में याचिकाकर्ता को बरी करने से किसी कर्मचारी को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार विभागीय जाँच करने के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

23. विशेष न्यायाधीश, सीबीआई द्वारा पारित दिनांक 25.07.2018 के निर्णय (अनुलग्नक पी–10) के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया है क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस निष्कर्ष से पता चलता है कि न तो यह स्पष्ट रूप से दोषमुक्त करने का प्रकरण है और न ही बिना साक्ष्य का प्रकरण है।इस संबंध में, उपरोक्त निर्णय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करने की आवश्यकता है:–––

"71– प्रति परीक्षण के तहत आर के दास अ.सा.–54 [InvestigationOffice□ (विवेचक)] ने अपने प्रति परीक्षण की कडिका 52 में यह स्वीकार किया है कि समस्त वे ब्रिज रजिस्टर पर एसईसीएल के अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा यह भी स्वीकार किया है कि वे ब्रिज कुर्क के हस्ताक्षर के सबंध में उनका नमूना हस्ताक्षर नहीं लिया गया तथा सबधित पंजियों पर पूरा ट्रक नबर उल्लेखित नहीं है और परिवहन में प्रयुक्त गाडियों के पजीयन नाम की स्थिति भी दर्शित नहीं है। इसी प्रकार आर के दास अ.सा.–54 ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 59 में यह स्वीकार किया है कि उसके व्दारा प्रस्तुत 313 ट्रिप कार्ड के संबध में हस्तलेख एव हस्ताक्षर बाबत नमूना नहीं लिया गया और उनके फर्जी होने के सबंध में कोई जाच नहीं की गयी। यद्यपि साक्षी ने वे ब्रिज कुर्क के रजिस्टर से मिलान करने की स्थिति दर्शित की है, किंतु उपरोक्त स्थिति में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रस्तुत वे ब्रिज कुर्क रजिस्टर भी प्रक्रिया अनुसार संधारित न होने के कारण उनकी प्रविष्टियां गणना करने योग्य नहीं मानी जा सकती।

72– ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर रात्रे अ.सा.–46 का कथन भी महत्वपूर्ण है,क्योंकि उसने यह दर्शित किया है कि आमगांव ओसीपी में माईन्स फेस से स्टाक यार्ड तक के विभिन्न ट्रिप रजिस्टर थे उनमें उल्लेखित ट्रिपों की सख्या एव आमगाव ओसीपी के काटाघर में मेनटेन किये गये रिकार्ड में उल्लेखित ट्रिपों की संख्या मेल नहीं खाती थी। इस साक्षी ने उक्त स्थिति के कारण अधिकतर सुरक्षा गार्ड का कम पढा लिखा होना एवं आमगांव ओसीपी में आधारभूत ढांचे का अभाव सहित अन्य विपरीत परिस्थितियों में गलत इन्द्राज होने अथवा इन्द्राज न होने की स्थिति दर्शित की है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षण के आधार पर ही यह स्पष्ट है कि अभियोजन व्दारा प्रस्तुत वे ब्रिज रजिस्टर एव ट्रिप कार्ड अथवा स्टाक यार्ड के संबध में प्रस्तुत दस्तावेज प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत न होने से विश्वसनीय नहीं माने जा सकते तथा उनके आधार पर निष्कर्ष दिया जाना अत्यत असुरक्षित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

74–महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि कोल स्टाक मेजरमेंट करना अथवा करवाना वस्तुतः साधारण स्थिति नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान, तैयारी एव सीआईएल की गाईड लाईन के बिना किया जाना सभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आर के दास अ.सा.–54 का यह स्वीकार करना कि उसे कोल स्टाक मेजरमेंट का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है तथा उसने ज्वाईट सरप्राईज चेक अथवा कोल स्टाक कम होने का भौतिक सत्यापन नहीं किया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान प्रकरण की अवधि के संबंध में कोयले के उत्पादन, विक्रय, परिवहन एवं उपलब्ध स्टाक का पृथक से गणना कर भौतिक सत्यापन नहीं किया एवं आरोपी एस के रानू के पूर्व महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों व्दारा किये गये मेजरमेंट का विशलेषण नहीं किया गया, तब यह स्पष्ट है कि प्रदर्श पी 160 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में ठोस एवं धरातलीय विवेचना का पूर्णत अभाव अभिलेख से दर्शित है।

75– इस प्रकार मात्र सतही कार्यवाही, जिसमें साक्ष्य लेना एवं दस्तावेज संकलित करना ही समुचित विवेचना का अंग नहीं माना जा सकता तथा विवेचना के तहत उत्पादन, विक्रय, परिवहन एवं शेष स्टाक के भौतिक सत्यापन के बिना पूर्व दस्तावेजी आकडों जिनके सबंध में दर्शित मेजरमेंट प्रक्रियागत कारणों से समुचित नहीं होना विवेचना में पाया गया, के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात वास्तविक रूप से विवेचना के तहत किसी भी स्थिति का भौतिक सत्यापन न होने से मात्र दस्तावेजी आकडों के आधार पर निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

77– इस प्रकार उक्त प्रतिरक्षा को आरोपीगण व्दारा बनायी गयी प्रतिरक्षानहीं माना जा सकता। साथ ही जहां आर के दास विवेचक व्दारा यह स्वीकार किया गया है कि कनवर्सन फेक्टर के संबंध में डायरेक्टर टेक्निकल का कोई बयान नहीं लिया गया था, तब उक्त स्थिति स्पष्ट करती है कि विवेचक व्दारा अपनी विवेचना में सबधित तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु अन्वेषण नहीं किया गया।

79–यह स्पष्ट है कि न्यू कोड बुक दिनांक 01.01.2012 से प्रवृत्त हुई, किंतु अभियोजन व्दारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वास्तव में क्वाटरली स्टाक मेजरमेंट के 15 दिन के भीतर ओवर बर्डन रिमूवल कार्यवाही की गयी। इस प्रकार जहां ओवर बर्डन रिमूवल कार्यवाही के संबंध में डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया, तब यह स्पष्ट है कि अभियोजन ने यह निर्धारित करने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में संबंधित माईन्स में कितनी जगह खाली हुई, जिसके आधार पर उत्पादन का मिलान किया जा सके।

87– इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में जहां उपरोक्त कोल स्टाक मेजरमेंट के आधार पर संपत्ति का न्यस्त किया जाना प्रमाणित नहीं है, तब लेखा विवरण के प्रस्तुत किये जाने अर्थात स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता आरोपीगण के संबंध में नहीं मानी जा सकती। साथ ही जहां चोरी अथवा आपराधिक न्यास भग अर्थात सपत्ति का अपने पक्ष में बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग प्रमाणित नहीं है, तब यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण सदेह का लाभप्राप्त करने के हकदार है।

95– इस प्रकार जहां कोयले की कमी प्रमाणित नहीं है, वहीं दिनांक 11 जनवरी से 23 जनवरी 2014 के मध्य कोल परिवहन के संबंध में प्रस्तुत ट्रिप कार्ड फर्जी होना प्रमाणित नहीं पाये गये, तब यह स्पष्ट है कि संपत्ति के न्यस्त होने के सबंध में प्रमाणित स्थिति अभिलेख पर न होने से अभियोजन व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त न्याय दृष्टात हिमाचल प्रदेश विरूद्ध कर्णवीर में दर्शित सिद्वात का लाभ अभियोजन को नहीं दिया जा सकता। साथ ही प्रकरण की परिस्थितियों में भी उक्त उपधारणा आरोपीगण के विरूद्ध किये जाने हेतु स्थिति अभियोजन के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।"

24. विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) द्वारा दिनांक 27.07.2018 के निर्णय (अनुलग्नक पी–10) में की गई टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि चूंकि जांच में कई खामियां पाई गईं और अभियोजन पक्ष द्वारा कानून के अनुसार दस्तावेज भी साबित नहीं किए गए, इसलिए विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह साक्ष्य न होने का प्रकरण नहीं है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसने सेवा नियमों, प्रक्रिया/स्थायी आदेश का उल्लंघन किया है या नहीं और यह सेवा नियमों और विनियमों के तहत संचालित की जा रही है।दोनों कार्यवाहियों अर्थात् दाण्डिक प्रकरण और विभागीय जाँच कार्यवाही की प्रकृति, आयाम/प्रभार क्षेत्र भी एक समान नहीं हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति, कि विशेष दाण्डिक प्रकरण में उसके दोषमुक्त होने के बाद विभागीय जाँच कार्यवाही को फिर से शुरू करना/जारी रखना गलत है, विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है।बल्कि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आलोक में याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय जाँच को फिर से शुरू करना/जारी रखना विधि के दायरे में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. चूंकि जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी–17) सभी विभागीय साक्षीयों की जांच किए बिना और दस्तावेजों को प्रदर्शित किए बिना तैयार की गई थी और इसे केवल आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को बरी करने के फैसले के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए, दिनांक 15/16.5.2019 (अनुलग्नक पी–18) का निरस्तीकरण आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को विभागीय जांच से मुक्त कर दिया गया था और दिनांक 5.1.2020 (अनुलग्नक पी–1) के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच को फिर से शुरू / फिर से शुरू करना भी विकृत या अवैध नहीं पाया गया है।यहां तक कि, अनुलग्नक पी–1 में उल्लिखित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर न देना भी इसे अमान्य नहीं करता है, क्योंकि विभागीय कार्यवाही कानून के अनुसार अपने तार्किक अंत तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि जांच रिपोर्ट केवल आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर प्रस्तुत की गई थी।

26. पूर्वोक्त चर्चा के तहत, मुझे रिट याचिका (एस) संख्या 1045/2020 में कोई योग्यता नहीं दिखती है, इसलिए, यह खारिज किए जाने योग्य है।

27. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2020 के आदेश द्वारा दी गई रोक भी निरस्त हो गई है।

28.चूँकि उत्तरवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय जाँच को पुनः आरंभ करना/पुनः खोलना कानून के दायरे में है,इसलिए इस स्तर पर, याचिकाकर्ता द्वारा डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 10265/2019 में मांगी गई अनुतोष उसे प्रदान नहीं की जा सकती है। इसलिए, डब्ल्यू. पी. (एस) 2019 की संख्या 10265 को भी खारिज कर दिया गया है।इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नही किया जाता है ।

सही/–
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur